चेकलिस्ट क्र.–35

राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत जांजगीर–चांपा व सक्ती जिले के जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत बलौदा वन परिक्षेत्र के संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 110 रकबा 1.4446 हे., 109 रकबा 2.0649 हे., 95 रकबा 0.4183 हे. योग 3.9278 हे. वनभूमि एवं बलौदा, चांपा व सक्ती वन परिक्षेत्र के राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) का रकबा 0.8776 हे. इस प्रकार कुल रकबा 4.8054 हे. भूमि में 18″ इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के व्यपवर्तन हेतु मांग की गई है। राजस्व वनभूमि के लिये कलेक्टर जांजगीर–चांपा व सक्ती द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो संलग्न है।

<u>संलग्न</u> :– उपरोक्तानुसार

वन मंडल अधिकारी
जांजगीर–चांपा वन मंडल
जांजगीर–चांपा वनमंडल

(एम.वी. अरविन्द)
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (परियोजना)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इण्डिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd.,Raipur (C.G.)

222488 ई मेल landrcrd.jc@gmail.com

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला – जांजगीर,चांपा (छ0ग0)

क्रमांक / 132 / अ.भू.अ. / रा.नि.–1 / 2023 जांजगीर, दिनांक 19 / 01 / 2023

प्रति,

उप–महाप्रबंधक,
गेल इंडिया लिमिटेड,
द्वितीय तल, अरीना द बुटिक होटल,
व्ही. आई. पी. चौक
तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.)

विषयः– जांजगीर–चांपा जिले के जांजगीर–चांपा वनमंडल क्षेत्रान्तर्गत 18 इंच ब्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाले राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (**NOC**) प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / गैस पाईप लाईन / वन भूमि / अनापत्ति / 2022 दिनांक 04 / 08 / 2022

––––00––––

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयान्तर्गत आपको पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड) भारत सरकार द्वारा स्थापित नियामक निकाय से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। भारत सरकार, मुंबई–नागपुर–रायपुर–झारसुगड़ा प्राकृतिक गैस पाईप लाईन (एमएनजेपीएल) बिछाने एवं निर्माण संचालित करने के लिए चांपा एवं जांजगीर अनुविभाग के अंतर्गत सूची में उल्लेखित ग्रामों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है।

इस संबंध में अनुविभाग अधिकारी (रा.) चांपा एवं जांजगीर जिला जांजगीर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके द्वारा चाही गई प्रमाण–पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

Taran

कलेक्टर
जिला–जांजगीर–चाम्पा

पृ. क्रमांक / 133 / अ.भू.अ. / रा.नि.–1 / 2023 जांजगीर, दिनांक 19 / 01 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. वन मंडल अधिकारी वन मंडल जांजगीर चांपा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा / जांजगीर जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ।

Taran

कलेक्टर
जिला–जांजगीर–चाम्पा

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

–:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::–

क्रमांक / 131 /अ.भू.अ. / रा.नि.–1 / 2023 जांजगीर, दिनांक 19 / 01 / 2023

उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इंडिया) लिमिटेड कैंप ऑफिस रायपुर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक / गैस पाइप लाइन / वन भूमि अनापत्ति / 2022 दिनांक 04.08.2022 के अनुसार मुंबई–नागपुर–रायपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाईप लाईन (एमएनजेपीएल) बिछाने एवं निर्माण संचालित करने के लिए जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत निम्नांकित अनुसूची–1 के उल्लेखित ग्रामों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन में व्यपवर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है:–

अनुसूची–1

क्र	अनुविभाग	तहसील	ग्राम	ख.न.	गैर वानिकी उपयोग हेतु आवश्यक प्रस्तावित रकबा हे0 में0	मद
1	2	3	4	5	6	7
1	जांजगीर	बलौदा	सत्तीगुड़ी	122 / 1 में से	0.0946 हे0	बड़े झाड़ के जंगल
2	चांपा	सारागांव	हनुमंता	158 / 1 में से	0.3030 हे0	छोटे झाड़ के जंगल
कुल			**2 ग्राम**	**02 ख.नं.**	**0.3976 हे0**	

1. प्रस्तावित भूमि उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में छोटे / बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा, यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है, तथा संदर्भित फर्म / संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादित ग्राम में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती है, तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 के संबंध में आवेदित ख0नं0 में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में कोई भी वन अधिकार मान्यता पत्र जारी किया गया है, तो पट्टाधारी से सहमति लेना आवश्यक होगा।
3. न्यायालय तहसीलदार बलौदा के ज्ञापन क्र. / 351 / तह. / वा. / 2022 बलौदा दिनांक 05 / 12 / 2022 के प्रतिवेदन के अनुसार तहसील बलौदा के अंतर्गत ग्राम सतीगुड़ी में 03 वृक्ष प्रभावित हो रहा है। वृक्ष की कटाई हेतु सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) की अनुमति आवश्यक होगी।
4. उपरोक्त अनूसूची–1 में उल्लेखित आवेदित राजस्व वनभूमि में से कॉलम 6 में अंकित रकबा को लोकहित में शासकीय प्रयोजनार्थ प्राकृतिक गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।
5. आवेदित ग्राम सत्तीगुड़ी तहसील बलौदा स्थित भूमि खसरा नंबर 122 / 1 में से रकबा 0.1030 हे. संरक्षित वन भूमि अंतर्गत होने से नियमानुसार वनमंडलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जावे।
6. उपरोक्त राजस्व वनभूमि में आवेदित विभाग द्वारा 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु कच्ची सड़क एवं मेन रोड के उपयोग कर भूमिगत पाईप लाईन विस्तार करने पर जो क्षति होगी, उसकी पूर्ति करके पुनः मूल स्वरूप में लाने की शर्त पर आवेदक विभाग को उक्त कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

Taran

कलेक्टर
जिला जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला सक्ती (छ.ग.)

–:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::–

क्रमांक/ 150 /भू.अ./2023 सक्ती, दिनांक 11/01/2023

उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इंडिया) लिमिटेड कैंप ऑफिस रायपुर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक/गैस पाइप लाइन/ वन भूमि अनापत्ति/2022 दिनांक 04.08.2022 के अनुसार जिला सक्ती अंतर्गत ग्राम नवापाराखुर्द एवं अमलडीहा में 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाइपलाईन एवं आप्टिकल फायबर केबल बिछाने से प्रभावित हो रहा है, निम्नांकित अनुसूची–1 में अंकित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण चाहा गया है:–

अनुसूची–1

क्र	जिला	तहसील	ग्राम	ख.न. में से	गैर वानिकी उपयोग हेतु आवश्यक प्रस्तावित रकबा हे0 में0	मद
1	2	3	4	5	6	7
1	सक्ती	सक्ती	नवापाराखुर्द	831/1	0.2108	छोटे झाड़ के जंगल
2	सक्ती	सक्ती	अमलडीहा	393/1 500	0.0764 0.1928	बड़े झाड़ के जंगल
कुल	**सक्ती**	**सक्ती**	**2 ग्राम**	**03 ख.नं.**	**0.4800**	

1. प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वनभूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा, यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन के ग्राम में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती है तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 के संबंध में आवेदित ख0नं0 में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में कोई भी वन अधिकार मान्यता पत्र जारी नहीं किया गया है तथा कोई भी विशेष पिछड़ी जनजाति (PTG) निवासरत नहीं है।
3. कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी सक्ती क्र./RO/835 सक्ती दिनांक 14/12/2022 के प्रतिवेदन के अनुसार तहसील सक्ती के अंतर्गत ग्राम अमलडीहा में 13 वृक्ष एवं नवापारा खुर्द में 02 वृक्ष कुल 15 वृक्ष प्रभावित हो रहा है। वृक्ष की कटाई हेतु सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी रा. सक्ती के अनुमति की आवश्यकता होगी।
4. उपरोक्त अनूसूची–1 में उल्लेखित आवेदित राजस्व वनभूमि में से कॉलम 6 में अंकित रकबा को लोकहित में शासकीय प्रयोजनार्थ प्राकृतिक गैस पाइपलाईन एवं आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपरोक्त राजस्व वनभूमि में आवेदित विभाग द्वारा 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कच्ची सड़क एवं मढ रोड के उपयोग कर भूमिगत पाईप लाईन विस्तार करने पर जो क्षति होगी, उसकी पूर्ति करके पुनः मूल स्वरूप में लाने की शर्त पर आवेदक विभाग को उक्त कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

कलेक्टर
जिला सक्ती (छ0ग0)